संख्याः 1179 / X-4-16 / 01(286) / 2016

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

विषयः जनपद–देहरादून में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीधा–रिखोली मुख्य मार्ग के कि0मी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.889 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1365 / FP/UK/ROAD/19607/2016 दिनांक 09 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–**देहरादून में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीधा–रिखोली मुख्य मार्ग के कि0मी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.889 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को** प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0–11–09 / 98–एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकरी से प्राप्त कर ऑन–लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकरी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 1179 (1)/X-4-16/1(286)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।